

23/18
11-578

प्रपत्र-6

"खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र"
(रा. भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

श्रीमान् उप खण्ड अधिकारी महोदय

चिखसूर

विषय :- राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम चिखसूर की जमाबन्दी

संवत् 2079-73 खाता संख्या 125 में -

अशुद्ध नाम का 90 वि० मेघवाल की वस्ती
सही नाम का 90 कर्णवी मेघवाल की वस्ती

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी

(राजूराम विश्वादी)

दिनांक

पुस्तक 23/18
11.5.18

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

सिंह,
निवेदन है कि ग्राम चिचडासर में रा० प्रा० कि० मेघवालों की बस्ती विद्यालय के नाम अष्टशायक रामराम विनोई के अनुसार कमोन्नत होने से रा० 30 प्रा० कि० मेघवालों की बस्ती हो गया है। रा० प्रा० कि० मेघवालों की बस्ती का नाम रा० 30 प्रा० कि० मेघवालों की बस्ती शुरू किये जाने की अनुशंका की जाती है।
दिनांक 11.5.18

पटवारी

11.5.18

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

परवाण व भू.अ.नि. रा० 30 प्रा० कि० मेघवालों की बस्ती के आधार पर विद्यालय कमोन्नत होने से "रा० प्रा० कि० मेघवालों की बस्ती" के स्थान पर "रा० 30 प्रा० कि० मेघवालों की बस्ती" का नाम तुरन्त देने की अनुशंका की जाती है।

आदेश

(सुनील कुमार कटेजा)

तहसीलदार, (शु.न.) सिद्धवा

TDR सेडवा, IUR सेडवा, परवारी इल्का चिचडासर से प्राप्त रिपोर्ट एक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से आचार्य पर प्रार्थना पत्र सीकर कट विद्यालय का नाम रा० प्रा० कि० मेघवालों की बस्ती के स्थान पर शुरू नाम रा० 30 प्रा० कि० मेघवालों की बस्ती तुरन्त देने का आदेश दिया गया है। उपरोक्त प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में समस्त दरामदों को तहसीलदार सेडवा को भेजा गया है। परावली फसल शुगर केसल दखिल

उप खण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन

